XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ निग०/1294-I/15

प्रकरण क्रमांक निग0 / 1294 I 15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-15	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 835/अ-1/वर्ष 2008-09 में पारित आदेश दिनांक 19-05-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि नौगॉव स्थित एक किता बंगला नं. 27 मय आर्हता समेत आवादी भूमि नौगॉव जिला छतरपुर का भूमि स्वामी घोषित किया जाये। जिसके तहत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि, भूमि स्वामी घोषित करते हुए आदेश दिनांक 11.02.2002 को पारित किया जिसके विरूद्ध स्वमेव निगरानी के तहत जिला कलेक्टर छतरपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया गया आवेदकगणों द्वारा कलेक्टर छरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2009 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की जो निरस्त किए जाने से पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3. आवेदकगणों की ओर से विद्वान अधिवक्ता अजय श्रीवास्वत द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन के साथ आदेश 41 नियम 27 व्य. प्र.सं. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया अनावेदक शासन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उपस्थित दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए गए। 4. आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्कों में कहा है कि कलेक्टर छतरपुर द्वारा लंबित प्रकरण को वर्ष 1993 में मंगाये जाने के उपरांत अवलोकन पश्चात 16.05.2001 को निर्देश सहित निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भेजा था जिसकी जानकारी शासन पक्ष को रही है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी	

[कृ. प. उ.

R 1294-I/15 छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा 11.02.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध स्वमेव निगरानी के तहत इतने लंबे अंतराल पश्चात की गई कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। यह भी तर्क किया है कि म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 57(2) के विरूद्ध धारा 57(3) में उपचार उपलब्ध होने से पारित स्वमेव निगरानी के तहत प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि वर्ष 1937—38 के खसरा में आवादी लेख चूकि वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत पारित गजट के अनुसार नौगॉग कैन्टोमेंट वोर्ड निरस्त कर नगर पालिका गठित की गई थी व कैन्टोमेंट बोर्ड संधारित रजिस्टर्ड के अनुसार नगरपालिका नौगॉव ने विवादित भूमि का स्वामित्व निर्धारित कर रजिस्टर तैयार किया था आवेदकगणों को उनके स्वामित्व एवं रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से संबंधित दस्तावेज जो इस न्यायालय में आवेदन के साथ संलगन किए है, को प्रस्तुत किए जाने का विधिवत अवसर कलेक्टर छतरपुर द्वारा नहीं दिया गया हैं पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण हो जाने के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है। इस कारण कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपनाई प्रकिया को प्रश्नगत करते हुए उन्होनें कलेक्टर छतरपुर एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है। 5. अनावेदक शासन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि स्वमेव निगरानी के तहत किसी भी समय शासन पक्ष को प्रकरण निराकरण करने की अधिकारिता है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6. आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा इसी प्रकार के निराकृत प्रकरण अरविंद कुमार गुप्ता विरूद्ध म.प्र. शासन अपर आयुक्त सागर के प्र.क. 231/अ/6 वर्ष 2006—07 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2007 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें इसी प्रकार के प्रकरण का निराकरण करते हुए अनुविभागीय	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1294 I/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी के आदेश दिनांक 20.11.2006 को वैद्य माना गया है। अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2002 के पैरा कमांक 4 में भी इसी प्रकार के प्रकरणों का निराकरण व्यवहारवाद द्वारा किए जाने का हवाला दिया है जिनका उल्लेख कलेक्टर छतरपुर एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा नहीं किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में नगर पालिका परिषद नौगॉव जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए है। जिन्हें कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किए जाने हेतु युक्तियुक्त अवसर आवेदकगणों को दिया जाना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 एवं कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगणों को आहुत कर उन्हें पक्ष समर्थन के दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरांत प्रकरण का निराकरण पुनः करें। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। आदेश की प्रति कलेक्टर छतरपुर को भेजी जाये प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

फौ. 1294 =/15 (छतरपुर)

1. श्रीमति वीणा पुत्री स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
2. विवेक पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
3. विनीत पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
4. विकास पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
5. श्रीमति कमला द्विवेदी वेवा आत्माराम द्विवेदी

समस्त निवासी तह.नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

1. श्रीमति वीणा पुत्री स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
2. विवेक पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
3. विनीत पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
4. विकास पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी
5. श्रीमति कमला द्विवेदी वेवा आत्माराम द्विवेदी

समस्त निवासी तह.नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक